



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 161429

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप

हम अरुण कुमार कटियार एवं मिथलेश कटियार क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव, छत्रप्रति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति, बी-810, एम0आई0जी0, विश्व बैंक, बर्रा, कानपुर, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं:-

1- यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा छत्रप्रति शिवाजी कालेज आफ फार्मैसी, साखिन बुजुर्ग, सिकन्दरा, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2- यह कि उक्त संस्था हेतु भूमि छत्रप्रति शिवाजी महाविद्यालय, साखिन बुजुर्ग, सिकन्दरा, कानपुर देहात से छत्रप्रति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति, बी-810, एम0आई0जी0, विश्व बैंक, बर्रा, कानपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष के लिए लीज डीड की गयी है, जिसके गाटा संख्या-135 एवं 134 रकबा क्रमशः 1.0240 हेक्टेयर एवं 0.0074 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0314 हेक्टेयर) भूमि है।

3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के पक्ष में उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या-135 एवं 134 रकबा क्रमशः 1.0240 एवं 0.0074 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0314 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 12.04.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी स्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवन को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7- यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8- यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9- यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो हो रहा है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10- यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जा चुका है।

11- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12- यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।



13- हम घोषणा करते है कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी
 पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी,
 कूटनिर्मित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिपद द्वारा नियमानुसार कानून
 संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं
 उत्तरदायी होंगे।



~~XXXXXX~~

HO सचिव

(Signature)
 (विशेष अधिकारी)
 प्रशासन
 (मिथिला कटियाह)
 कानपुर

HOअध्यक्ष

(Signature)
 (अरुण कुमार कटियाह)
 अध्यक्ष
 एन सी सिविली
 (अरुण कुमार कटियाह)
 कानपुर

Handwritten notes in Hindi and English, including a date: 18/01/2018.

30/08/2018
 Govt. Notice
 Form No. 5124